न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 33/2023

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
1. मलसिंह पुत्र भीमसिंह जाति भाटी निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. गोगसिंह पुत्र तनसिंह 2. सांगसिंह पुत्र तनसिंह 3. छगनकंवर पत्नी तनसिंह 4. तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. सतीकंवर पत्नी भंवरसिंह 6. सुखाकंवर पत्नी चन्दनसिंह जाति भाटी निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 7. शाखा प्रबंधक एस बी बी जे शाखा गुडामालानी 8. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध शुद्धिपत्र कमांक 278 दिनांक 23.02.2022 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.12.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित शुद्धिपत्र कमांक 278 दिनांक 23.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है [illegible] जीवाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 598 व 598/[illegible] 4.8562 कुल 8.3931 हैक्टेयर भूमि गोगसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा [illegible]/72, छगनकंवर पत्नि [illegible]सिंह हिस्सा 5/72, तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 5/24, मलसिंह पुत्र भीमसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हिस्सा 1/2, सुखा कंवर पत्नि चंदन सिंह हिस्सा 1/24, सांगसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा 5/72 खातेदारी में दर्ज था। उक्त खातेदार तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष दिनांक 27.01.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय खातेदारी हिस्से में की गई त्रुटि को सही करने का निवेदन किया। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक गुडामालानी से जांच रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2022 द्वारा हल्का पटवारी को खातेदारी हिस्से में की गई त्रुटि को जरिये शुद्धिपत्र संशोधित करने के निर्देश जारी किये। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2023 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

4. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निवेदन किया है कि ग्राम जीवाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 598 रकबा 3.5369 हैक्टेयर, खसरा संख्या 598/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में अपीलांट का 1/2 हिस्सा, उत्तरदाता संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकार हासिल है। उत्तरदाता संख्या 4 के द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में हिस्सा शुद्धिकरण करने का दिनांक 27.01.2022 को पेश किया गया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 23.02.2022 को राजस्व रेकर्ड में हिस्सा संशोधन करने का आदेश पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिससे अपीलांट के हितों व अधिकारों पर भारी कुठाराघात हुआ। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में न्याय के प्राकृतिक सिंद्धात का घोर उल्लंघन किया गया है एवं विधिक प्रक्रिया को भी अनदेखा करने से उक्त आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आराजी में सेग्रीगेशन से पूर्व भी हिस्सा अंकित था, ऐसे में यदि उक्त हिस्से के संबंध में किसी भी खातेदार को आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में हिस्सा घोषित करवाए। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियों का उपयोग कर हिस्सा दुरूस्त किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया गया तथा न ही अपीलांट को सुना गया। अपीलांट को बिना नोटिस सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश की अपीलांट जानकारी नहीं होने दी। वर्तमान में उत्तरदाता के द्वारा अपीलांट कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा विरोध करने पर उत्तरदातागण नहीं माने। अपीलाधीन आराजी की भूमि के संबंध में एक स्थगन जारी करवाया हुआ था। स्थगन की प्रति हेतु अधिवक्ता से संपर्क किया गया। जिस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब अपीलांट स्वयं के द्वारा प्रकरण की जानकारी ली व राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिस पर अपीलाधीन आदेश की दिनांक 24.07.2023 को नकल प्राप्त हुई। जिस प[illegible] जानकारी की तिथि से व नकल प्राप्त होने की तारी[illegible] है फिर भी अपील पेश करने में हुई सद्भावपूर्वक [illegible] हेतु पृथक से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः अपील अंदर मयाद शुमार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

जाकर स्वीकार फरमाई जावें तथा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2022 को निरस्त कर रेकर्ड की स्थिति बहाल की जावें।

6. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जीवाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 598 व 598/1 रकबा क्रमशः 3.5369 एवं 4.8562 कुल 8.3931 हैक्टेयर भूमि गोगसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा 5/72, छगनकंवर पत्नि तनसिंह हिस्सा 5/72, तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 5/24, मलसिंह पुत्र भीमसिंह हिस्सा 1/2, सुखा कंवर पत्नि चंदन सिंह हिस्सा 1/24, सांगसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा 5/72 खातेदारी में दर्ज था। उक्त खातेदार तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष दिनांक 27.01.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय खातेदारी हिस्से में की गई त्रुटि को सही करने का निवेदन किया। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक गुडामालानी से जांच रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02. 2022 द्वारा हल्का पटवारी को खातेदारी हिस्से में की गई त्रुटि को जरिये शुद्धिपत्र संशोधित करने के निर्देश जारी किये। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता हैं कि विद्वान तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही पक्षकारान के खातेदारी हिस्सों के बाबत कोई साक्ष्य–सबूत रेकर्ड पर लिया गया। जहां तक खाता ऑनलाईन करते समय हिस्से त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गये थे तो उनके संशोधन हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्तीकरण का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचारण योग्य था। अधीनस्थ तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रथम तो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, द्वितीय हितबद्ध पक्षकारान को भी नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 278 दिनांक 23.02.2022 अपास्त किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:27 IST
Reason: SelfAttested